उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

सैफई, इटावा (उ0प्र0) – 206301
Phone: 05688-276563 Fax: 05688-276509

संख्या : 1121 / यू0पी0यू0एम0एस0 / छात्रप्रकोष्ठ / 2020–21 — दिनांक: 20 / 07 / 2020

सूचना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ''दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत'' के क्रम में सूचित किया जाता है कि एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र / छात्राएं जिनके माता–पिता / अभिभावक की निम्नानुसार वार्षिक आय है वे छात्र / छात्राएँ छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

क्र.	विवरण	वार्षिक आय सीमा
1.	सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक	रू0 2.00 लाख तक
2.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	रू0 2.50 लाख तक

छात्र / छात्राएँ शैक्षिक सत्र 2020–21 में छात्रवृत्ति पोर्टल **(http://scholarship.up.nic.in)** पर छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन निम्नलिखित लॉगिन आई0डी0 पर पात्रता अनुसार ऑनलाईन आवेदन करें:–

Scholarship Login I.D. (For MBBS Course)	Affiliated University	Batch	Online Apply
Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah	Uttar Pradesh University of Medical Science Saifai, Etawah	2016 to 2019	Renewal (नवीनीकरण)
		2020	Fresh (नवीन)

- **छात्र / छात्राएं उपरोक्त छात्रवृत्ति की वेबसाईट पर छात्रों हेतु दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों (छायाप्रति संलग्न) का पालन करते हुये ऑनलाईन आवेदन पत्र पर सभी विवरणों पर डाटा अंकित करते हुये Submit करें। छात्र / छात्रा द्वारा स्वंय ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जाना है, आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण / गलत प्रविष्टियाँ भरने पर उत्तरदायित्व छात्र / छात्रा का ही होगा। ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र में डाटा की शुद्धता एवं नामों में एकरूपता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र / छात्रा का होगा। छात्र / छात्राऐं छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय दिये गये निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।**
- आवेदक को उ0प्र0 का मूल निवासी होने की अनिवार्यता है।
- **बैच 2016,2017,2018,2019 के छात्र / छात्राएं नवीनीकरण (Renewal) ऑप्शन का चुनाव करते हुये ऑनलाईन आवेदन करें तथा बैच 2020 के छात्र / छात्राएं नवीन (Fresh) ऑप्शन का चुनाव करते हुये ऑनलाईन आवेदन करें।**
- छात्र / छात्राएं हाईस्कूल अंकतालिक / प्रमाण पत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता–पिता / पति के नाम के अनुरूप ही अन्य अभिलेखों – आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि में **नामों में एकरूपता को देख लें यदि** नामों में कोई त्रुटि हो तो छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व उसे शुद्ध करा लेना चाहिये अन्यथा **आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाना संभव नहीं होगा।**
- अनिवार्य वार्षिक शुल्क (Non Refundable fees) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।
- माता–पिता / अभिभावक का तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (प्रथम वर्ष के छात्रों को मूल रूप में व अन्य को छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- जाति / निवास (जिस पर लागू हो) प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ इनकी आनलाईन सत्यापन की प्रति भी संलग्न किया जाना है।
- **बैच 2016, 2017, 2018, 2019** के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को गतवर्ष की एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण अंकपत्र की छायाप्रति व **बैच 2020** के छात्र / छात्राएं गत वर्ष की उत्तीर्ण इण्टरमडिएट परीक्षा की अंकतालिका को संलग्न करना अनिवार्य है।
- सबमिट किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ **वार्षिक शुल्क जमा रसीद, बैंक पासबुक, हाईस्कूल, इण्टमीडिएट, आधार कार्ड प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों** की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- समस्त छात्र / छात्राओं को शपथ पत्र रू. 10 / –के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवाने हेतु प्रारूप नोटिस बोर्ड में चस्पा है।
- अनुसूचित जाति / जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र (उच्चतर पाठ्यक्रमों हेतु 100 / – के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) बनवाने हेतु प्रारूप नोटिस बोर्ड में चस्पा है।

- छात्र/छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व छात्रवृत्ति की वेबसाईट http://scholarship.up.nic.in पर दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करते हुये ऑनलाईन आवेदन पत्र को **Submit** करें। **आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियाँ भरने पर उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा।**
- **छात्र/छात्राएं फाइनल सबमिशन से पूर्व अपने द्वारा छात्रवृति आवेदन पत्र में अंकित की जाने वाली प्रविष्टियों को छात्रप्रकोष्ठ कार्यालय में उचित समझे तो जाँच हेतु दिखा सकते हैं।**

छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति पोर्टल पर दी गई **समय सारिणी के क्र.सं. 04 अनुसार अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2020 तक** ऑनलाइन आवेदन पत्र **Submit** करना सुनिश्चित करें। **ऑनलाईन आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट निकाल कर वांछित अभिलेख संलग्न कर स्वप्रमाणित करते हुये 02 प्रति में दि. 01 सितम्बर, 2020 तक छात्रप्रकोष्ठ कार्यालय में जमा करें। ऑनलाईन Submit किये गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा संस्तुति के उपरांत ही अग्रसारित किये जाने पर विचार करना सम्भव होगा।**

नोट :– समय सारणी के क्रमांक 15 अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा। आर्नलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित छात्र प्रकोष्ठ में विलम्बतम 12 नवम्बर 2020 तक जमा कर सकते हैं। छात्र/छात्राएं सत्र 2020–21 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी का पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न – समय–सारिणी एवं दिशा–निर्देश।

(डा0 आलोक कुमार)
संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय)

प्रतिलिपि :–1. प्रतिकुलपति।
2. कुलसचिव।
3. परीक्षा नियंत्रक को इस आशय से प्रेषित की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु।
4. संकायाध्यक्ष (छात्रकल्याण)।
5. सी0ए0सी0 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड (पुरूष एवं महिला छात्रावास)।

(डा0 आलोक कुमार)
संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय)

छात्रवृत्ति आवेदन करने हेतु दिशा निर्देश

- छात्र/छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व छात्रवृत्ति की वेबसाईट http://scholarship.up.nic.in पर दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करते हुये ऑनलाईन आवेदन पत्र को **Submit** करें। आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियॉं भरने पर उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा।

1- बैच 2016,2017,2018,2019 के छात्र/छात्राएं नवीनीकरण (**Renewal**) ऑप्शन का चुनाव करते हुये ऑनलाईन आवेदन करें तथा बैच 2020 के छात्र/छात्राएं नवीन (**Fresh**) ऑप्शन का चुनाव करते हुये ऑनलाईन आवेदन करें।

2. **छात्र/छात्राएं हाईस्कूल अंकतालिक/प्रमाण पत्र में अंकित अपने नाम तथा अपने माता–पिता/पति के नाम के अनुरूप ही अन्य अभिलेखों आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि में नामों में एकरूपता देख लें। यदि नामों में एकरूपता नहीं है तो छात्र/छात्रायें हाईस्कूल अंकतालिक/प्रमाण पत्र के अनुसार अन्य अभिलेखों में उक्त त्रुटि को छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व शुद्ध करा लेना चाहिये अन्यथा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाना संभव नहीं होगा।**

3. अनिवार्य वार्षिक शुल्क (**Non Refundable fees**) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।

4. उक्त समय–सारिणी के समयावधि के अंर्तगत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण /प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

5. छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में **Result Not Yet Declared** ऑप्शन चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (**11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक**) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

6. **संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन ऑनलाईन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः 07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 02 अगस्त 2020 से 02 नवम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।**

7. **चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 से छात्रों के आवेदन पत्र आधार नम्बर ऑनलाइन वेरीफिकेशन के पश्चात सब्मिट किये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही आधार बेस्ड भुगतान की प्रकिया भी इस वर्ष से प्रारंभ की जायेगी। आधार बेस्ड भुगतान की प्रकिया के अंतर्गत छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित की जायेगी। छात्रों का बैंक खाता जिस बैंक में खुला होगा वह बैंक पी0एफ0एम0एस0 से मैप होना चाहिये।**

8. **छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्मतिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरांत आवेदन पत्र सब्मिट किया जा सकेगा। आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित होगी। यदि आधार नम्बर से अभ्यर्थी का कोई बैंक खाता लिंक नहीं है तो छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार सम्भव नहीं हो सकेगा।**

9. **सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिये जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिये और उसे बैंक से लिंक करालें ।**

10. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध हैं वे आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक/सीड करा लेना चाहिये।

11. हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता–पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिये।

12. हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिये।

13. आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लेना चाहिये।

14. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत" (शैक्षिक सत्र 2020–21) हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा शुल्क की धनराशि निम्नलिखित विवरणानुसार आनलाईन अंकित की जाये:–

(ACADEMIC YEAR 2020-21)

MBBS PROFESSIONAL YEAR	GEN Category (Non Refundable Amount)	OBC Category (Non Refundable Amount)	SC/ST Category (Non Refundable Amount)	MINORITY Category		TUTION FEES (Rs.) (GENERAL CATEGORY)	TUTION FEES (Rs.) (RESERVATION CATEGORY)
				OBC (Non Refundable Amount)	GEN (Non Refundable Amount)		
MBBS First Professional	26000	17000	17000	17000	26000	18000	9000
MBBS Second Professional	24000	15000	15000	15000	24000	18000	9000
MBBS Final Prof. Part-I	24000	15000	15000	15000	24000	18000	9000
MBBS Final Prof. Part-II	24000	15000	15000	15000	24000	18000	9000

15. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की छायाप्रति को निम्नानुसार कम में संलग्न करें :—

S. No.	Fresh Application (Batch-2020)	Renewal Application (Batch-2016, 2017, 2018, 2019)
1	Online Submit Application Form	Online Submit Application Form
2	NEET-2020 Rank Letter/Allotment Letter	High School Mark sheet & Certificate
3	High School Mark sheet & Certificate	Intermediate Mark sheet & Certificate
4	Intermediate Mark sheet & Certificate	Previous Year MBBS Pass Mark sheets
5	Additional qualification mark sheets (If required)	Bank Account Passbook Photocopy
6	Fee deposit slip	Fee deposit slip
7	Bank Account Passbook Photocopy	Income Certificate (Photocopy) If Fresh Application (Original IC)
8	Income Certificate (Original & Photocopy)	Income Certificate Verification Photocopy
9	Income Certificate Verification Photocopy	Caste Certificate (If required)
10	Caste Certificate (If required)	Caste Certificate Verification Photocopy
11	Caste Certificate Verification Photocopy	U.P. Domicile Certificate Photocopy
12	U.P. Domicile Certificate Photocopy	Aadhar Card Photocopy
13	Aadhar Card Photocopy	Gap affidavit Rs. 10/- Stamp Paper (If Req.)
14	Gap affidavit Rs. 10/- Stamp Paper (If Req.)	Declaration Letter (Rs. 10/- affidavit) ***Collect Format from Notice Board/ Students Cell**
15	Declaration Letter (Rs. 10/- affidavit) ***Collect Format from Notice Board/ Students Cell**	
16	Addendum-Kha Only (SC/ST) (Rs. 100/- affidavit)- ***Collect Format from Notice Board/ Students Cell**	Addendum-Kha Only (SC/ST) (Rs. 100/- affidavit)- ***Collect Format from Notice Board/ Students Cell**

16. **छात्र/छात्राएं सत्र 2020–21 के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी में दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़े तथा महत्वपूर्ण तिथियों को स्मरण रखें जो कमांक 04, 06, 15, 17, 22, 23 पर अंकित हैं तथा नोट में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देश का पालन करें। छात्र/छात्राएं समय–समय पर विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं छात्रवृत्ति की वेबसाईट http://scholarship.up.nic.in को देखते रहें।**

17. **छात्रवृत्ति समय सारिणी के कम संख्या 04 अनुसार छात्र/छात्राओं के द्वारा ऑनलाईन आवेदन 01 अगस्त, 2020 से 25 अगस्त 2020 तक किया जाना है आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2020 है। Submit किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ छात्र/छात्रायें 03 दिवस के अन्दर वांछित अभिलेख संकलित कर छात्र/छात्राएं बिन्दु संख्या 16 के (क. 01 से 16 तक) इसी कम में छायाप्रति को स्वंय प्रमाणित करते हुये छात्रप्रकोष्ठ में 02 प्रतियॉं निर्धारित समय में जमा करें। (Monday to Friday-02:00 PM to 05:00 PM and Saturday 11:00 AM to 01:30 PM.) फार्म वांछित संलग्नकों सहित जमा करने की अन्तिम तिथि 01 सितम्बर, 2020 है। प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाना संभव होगा।**

18. छात्रवृत्ति समय सारिणी के कम संख्या 15 अनुसार छात्र/छात्राओं के द्वारा ऑनलाईन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से 05 नवम्बर तक अनवरत जारी रहेगा) कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन एवं नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं हेतु ऑनलाईन आवेदन दि. 01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक किया जाना है। जिसकी अंतिम तिथि 12 नवम्बर 2020 है। आनॅलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित छात्र प्रकोष्ठ में विलम्बतम 12 नवम्बर 2020 तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाना संभव होगा।

छात्र/छात्राएं सत्र 2020–21 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी का पालन करना सुनिश्चित करें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र

(उच्चतर पाठ्यक्रमों हेतु 100/– के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनॉक.............. को (1) कु0/श्रीमती/श्री .... जाति .... निवासी ग्राम/मु0 .... डाकखाना .... तहसील .... जिला.................. जिसे एतत्पश्चात् प्रथम पत्र कहा गया है।

एवं

(2) .... संस्थाध्यक्ष पता .... जनपद .... (जहाँ छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे तत्पश्चात् द्वितीय पत्र कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना (तृतीय संशोधन) नियमावली 2014 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते है :–

1. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा।
2. प्रथम पक्ष, सन्दर्भित् संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर, निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित, संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त रसीद देगा।
3. द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृत हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
4. प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा जो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अंतरित कर देगा।
5. प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
6. प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो में प्रतिभाग करेगा।
7. उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2016 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष को होगा।

प्रथम पक्ष
हस्ताक्षर ....
नाम..
पिता/पति का नाम ....
पता ....

द्वितीय पक्ष
हस्ताक्षर ....
नाम..
पिता/पति का नाम ....
पता ....

साक्षी सं0 1
हस्ताक्षर ....
नाम..
पिता/पति का नाम ....
पता ....

साक्षी सं0 2
हस्ताक्षर ....
नाम व पदनाम
पता ....

छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषण पत्र (रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर)

समक्ष

संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, इटावा

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... जो ग्राम .... मुहल्ला .... जनपद .... का निवासी हूँ। निम्नलिखित बयान करता हूँ :–

1. यह कि मैं ग्राम ....मुहल्ला .... तहसील ....जिला .... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (आय/जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मै उत्तर प्रदेश मे विनिर्दिष्ट सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का हूँ। (तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
3. यह कि मेरे माता–पिता/विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतो से वार्षिक आय रूपये .... लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं *.............................. शैक्षिक संस्थान के .... पाठ्यक्रम के .... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था .... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड मैं पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा।
6. यह कि मैने पिछली परीक्षा .... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के सम्बन्ध में अलग से घोषण पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नही मिल रही है।
8. यह कि मेरे बचत खाता संख्या .... बैंक .... के .... शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे निःशुल्क/सशुल्क प्रवेश दिया गया है।

उक्त घोषण पत्र में बिन्दु संख्या 01 से 09 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में हैं इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनॉक : ....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

नाम ....

पिता/पति का नाम ....

पता..

संख्या– 84 / 2020 / 1332 / 26–3–2020–4(358) / 07 टी.सी. III

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 15 जून 2020

विषय: **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओंसे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–177/स0क0/शिक्षा–अ/07/28/2020–21, दिनांक–04.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओंसे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में(केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त)संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2020–21 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

3– इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2020–21 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :–

क0 सं0	**प्रकियात्मक कार्यवाही**	**निर्धारित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020–21)**
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक

D.P Dwivedi New g.o

	पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यकवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करना।	
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, 3–प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ–226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना। **(नोटः–राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड के लिये 31 अगस्त 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।)**	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	01 जुलाई 2020 से 18 सितम्बर 2020 ***(नोटः–राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर सकती हैं।)***
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	01 सितम्बर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक
2ए	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	21 सितम्बर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति –समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यकम एवं कक्षा 11–12 के छात्रों हेतु		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना। **(आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा।)**	01 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 01 सितम्बर 2020 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। **(नोट:–02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही 02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)**	02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	15 सितम्बर 2020 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जानाएवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct)छात्रों के लिये)	08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2020 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवंजनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के शुद्ध (Correct)छात्र/छात्राओं के लिये)	16 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	30 सितम्बर 2020 तक

	सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	01 अक्टूबर 2020 तक
14	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना	02 अक्टूबर 2020 को
	कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु	
15	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक
16	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रौल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
17	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 12 नवम्बर 2020 तक
18	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना।	02 अगस्त से 19 नवम्बर 2020 तक
19	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंगएजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	30 नवम्बर 2020 तक
20	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	20 नवम्बर 2020 से 10 दिसम्बर 2020 तक
21	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक
22	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक
23	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र–छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 24 दिसम्बर 2020 तक

24	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12दिसम्बर 2020 से 28दिसम्बर 2020 तक
25	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	29 दिसम्बर 2020 से 06जनवरी 2021 तक
26	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी/के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	07 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021 तक
27	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	23 जनवरी 2021 तक
28	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 जनवरी 2021 तक
29	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2020 को

नोटः—

1— उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

2— छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

3— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 02 अगस्त 2020 से 02 नवम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।

4— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।

5— विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल अपलोड करेगें।

6— उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड—19 की स्थिति को देखते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय—सारिणी का अपने स्तर से प्रचार—प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020—21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

पृ0सं0— ८५ / 2020 / 1332(1) / 26—3—2020 तद्दिनांक:—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण / वित्त / नियोजन / मा0शिक्षा / उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / व्यवसायिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6— निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8— निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।